राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा(म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

क्रमांक 6 28595 /वाहन निविदा/भण्डार/2025–2026 दिनांक 04/06/2025

किराये से वाहन प्रदाय हेतु पुनः निविदा (लघु) विज्ञप्ति वर्ष 2025–26

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा के परीक्षा/गोपनीय/मूल्यांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रति किलो मीटर की दर से वाहन किराये पर लिये जाने के संबंध में पुनः ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र क्रय करने का मूल्य रु 2000/– तथा सुरक्षा राशि (EMD) रु. 75,000 (पछत्तर हजार रूपये मात्र) है।

निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने संबंधी प्रमुख विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	दिनांक
1	निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि	06/06/2025
2	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	13/06/2025
3	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत/भरने की अंतिम तिथि	13/06/2025

निविदा सत्यापन/ओपन दिनांक 14/06/2025 को भण्डार कार्यालय में अपरान्ह 5:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा।

निविदा संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की अधिकृत बेवसाइट पर भी उपलब्ध है। निविदा के संबंध में दूरभाष क्रमांक 07162 292970 तथा 09424764046 है।

Note- पुनः निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र के माध्यम से नहीं किया जावेगा। यह केवल विश्वविद्यालय की अधिकृत बेवसाइट पर ही प्रकाशित होगी।

कुलसचिव 04/06/25

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,

छिन्दवाड़ा

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के लिये वर्ष 2025–26 में परीक्षा/गोपनीय/मूल्यांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार वाहन प्रति किलोमीटर की दर से किराये पर लिये जाने हेतु पुनः ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

" अनिवार्य शर्ते "

1. निविदाकर्ता तकनीकी बीड के रूप मे निम्नलिखित दस्तावेजों/अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
2. निविदाकर्ता का PAN (स्थायी खाता क्रमांक) तथा GSTIN रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छाया प्रति।
3. विगत तीन वर्षो की आयकर विवरणी की सत्यापित छाया प्रति (वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24) एवं बैलेंस शीट (रजिस्टर्ड सी.ए. द्वारा ऑडिटेड) संलग्न करना अनिवार्य है।
4. संस्थान का सम्पूर्ण विवरण (संलग्न प्रपत्र क्र. 1)।
5. सी.ए. दवारा आडिटेड संस्था का प्रति वर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 25 लाख रूपये होने का प्रमाण पत्र अपलोड करें।
6. फर्म/मालिक के पास कम से कम 04 कामर्शियल वाहन पंजीकृत होने की प्रमाणिक छाया प्रति (संलग्न प्रपत्र क्र.–2)।
7. निविदा प्रपत्र के क्रय का मूल्य 2000/– रूपये (दो हजार रूपये मात्र) ऑनलाइन जमा करना होगा एवं EMD के रूप में रू 75,000 (पछत्तर हजार रूपये मात्र) ऑनलाइन जमा कर उसकी एक प्रति अपलोड/जमा करनी होगी।
8. 100 रू. के स्टाम्प पर किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में ब्लेकलिस्टेड न होने तथा सुरक्षा राशि जप्त न होने का नोटराइज्ड प्रमाण पत्र।
9. किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

" निविदा की अन्य शर्तें "

1. निविदाकर्ता को प्रति किलोमीटर की दरें समस्त कर शुल्क सहित देवें।
2. वाहन मॉडल 2020 के पूर्व का नहीं होना चाहिये तथा व्यवस्थित एवं एयर कंडीशनर युक्त होने चाहिए। वाहन आर.टी.ओ. में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
3. सेवा दाता अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसके वाहन चालक उचित व्यवहार करें तथा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करें। वाहन चालक द्वारा उचित व्यवहार न करने पर फर्म पर आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा।
4. अनुबंध अवधि में पेट्रोल/डीजल आदि के भाव बढ़ने पर किसी भी प्रकार के किराये में वृध्दि नहीं की जाएगी।
5. वाहन का नियमित रूप से मेन्टेनेंस किया जाना अनिवार्य है। वाहन में फ्यूल, वाहन चालक सहित अन्य समस्त व्यय फर्म द्वारा किया जावेगा तथा वह प्रति किलोमीटर दरों में समाहित होगा।
6. स्वीकृत फर्म को नियमानुसार परफॉरमेंस गारंटी सहित विश्वविद्यालय के साथ एक उभय पक्षीय अनुबंध करना होगा।
7. वाहन चालक टैक्सी वाहन चलाने का लायसेंस धारी होना चाहिये तथा चालक का पुलिस थाने में कोई भी अपराध प्रकरण पंजीकृत नहीं होना चाहिये। साथ ही वाहन प्रदायकर्ता के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिये। चालक तथा वाहन प्रदायकर्ता का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. वाहनों का वैध परमिट होना चाहिये तथा किराये का वाहन बीमित (Insured) होना चाहिये। किसी भी प्रकार की दुर्घटना/वाहन चोरी की स्थिति मे सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/एजेंसी का होगा।
9. परीक्षा/मूल्यांकन कार्य अत्यंत गोपनीय कार्य हैं। अतः विश्वविद्यालय वाहन प्रभारी के संक्षिप्त सूचना के आधार पर वाहन तत्काल प्रदान करने होंगे। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में परफॉरमेन्स गारन्टी राजसात कर ली जावेगीं तथा विश्वविद्यालय L2 या अन्य संस्था से (जैसा विश्वविद्यालय उचित समझें) वाहन किराये पर लेने के लिये स्वतंत्र होगा।
10. अतिरिक्त वाहनों की संख्या तथा किराये पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है। जिसकी सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व दी जाएगी।

सन्तोषजनक/पारदर्शी पाये जाने पर तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर पूर्व शर्तों व स्वीकृति दरों पर निविदा एक-एक वर्ष करके अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

12. उपयोग के दौरान वाहन खराब होने पर तत्काल अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। जिसकी संयुक्त वाहन रीडिंग के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

13. निविदा/अनुबंध को मान्य/अमान्य स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार, कुलसचिव राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा नियत तिथि पर सर्वप्रथम तकनीकि निविदा ओपन की जायेगी तत्पश्चात तकनीकि निविदा में सफल निविदाकारों की वित्तीय बीड खोली जायेगी। वित्तीय बीड में न्यूनतम निविदा का निर्धारण सकल निविदाकृत वाहनों की मूल दरों के योग के न्यूनतम से निर्धारित होगा। निविदाकारों से अपेक्षित है कि वे दरों को युक्तियुक्त भरें, क्योंकि न्यूनतम दर वाले वाहन को विश्वविद्यालय द्वारा किराये से लेने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

14. माल वाहक वाहनों की रीडिंग किलोमीटर के आधार पर संचालित होगी तथा समस्त सामग्री का उल्लेख बिल्टी पर आवश्यक रूप से करना होगा बिल के साथ संलग्न ड्युटी स्लिप पर विश्वविद्यालय वाहन प्रभारी या अधिकृत कर्मी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं।

15. सफल निविदाकार को वाहन अनुबंध पश्चात तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन एवं चालक संबंधित आवश्यक जानकारी दस दिवस के भीतर उपलब्ध करानी होगी।

16. प्रति किलोमीटर के लिये वाहन किराये से लेने हेतु वाहन का न्यूनतम किराया वित्तीय प्रपत्र में दर्शाना होगा।

17. संस्था के देय मासिक आधार पर देयक प्रस्तुत करना होगा। देय भुगतान पर भुगतान योग्य आयकर का स्त्रोत पर कटौत्रा किया जावेगा। एवं उसकी पावती कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। देयक प्रस्तुत होने के पश्चात प्रक्रियागत/कानूनी बाधा न होने की स्थिति में भुगतान की अधिकतम अवधि एक माह निर्धारित होगी।

18. माल वाहक टेक्सी से गोपनीय सामग्री के परिवहन हेतु एजेंसी को स्वंय के व्यय पर वर्षा, धूप आदि से बचाव हेतु व्यवस्था करनी होगी साथ ही गोपनीय परिवहन के दौरान चालक तथा एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी की वह सामग्री को गोपनीय रूप से सुरक्षित रखें।

सी के पास 04 वाहनों के अतिरिक्त न्यूनतम 09 अन्य कामर्शियल वाहन अनुबंधित होने चाहिये अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी से किसी भी समय एक साथ न्यूनतम 13 वाहनों की मांग की जा सकती हैं, जिसे एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। फर्म द्वारा आपात स्थिति में निजी वाहन उपलब्ध कराने पर इसकी पूर्व सूचना कुलसचिव को देनी होगी तथा उक्त संबंध में कुलसचिव की अनुमति बाध्यकारी होगी।

20. मुख्यालय से बाहर जाने पर 150 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर केवल वास्तविक चार्ज/देयक मान्य होगा। प्रति किलोमीटर चार्जेस के साथ-साथ आउट ऑफ स्टेशन एवं नाइट चार्जेस का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अलग से देय नहीं होगा। टोल टेक्स का भुगतान पृथक से वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
21. समानता की स्थिति में टर्न ओवर तथा नवीन मॉडलों के वाहनों की संख्या को समिति द्वारा अधिभार दिये जाने का अधिकार होगा।
22. मालवाहक वाहन को एक बार में कई जगहों पर डिलीवरी देनी होगी अतः वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
23. निविदाकर्ता की ऑपरेशनल ऑफिस छिन्दवाड़ा मुख्यालय में होना चाहिये, यदि मुख्यालय छिन्दवाड़ा में नहीं हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किये जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर एक क्षेत्रीय कार्यालय कार्य सुगमता हेतु छिन्दवाड़ा में स्थापित करना होगा।
24. फर्म को ऑनलाइन अपलोड कॉपी के अतिरिक्त एक मूल कॉपी भण्डार विभाग में भी स्वसत्यापित कर निविदा भरने की अंतिम तिथि 05 बजे तक जमा करनी होगी। अन्यथा संबंधित फर्म वित्तीय विड हेतु अपात्र मानी जा सकेगी।
25. एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय की मांग पर ऑल इण्डिया परमिट के किसी भी शहर/स्थान में टेक्सी उपलब्ध कराने/प्रदाय करने की क्षमता होनी चाहिये।
26. किसी भी प्रकार के वाद/स्पष्टीकरण की स्थिति में कुलगुरू, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

कुलसचिव 05/08/25

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,

छिन्दवाड़ा

तकनीकी निविदा

प्रपत्र क्रमांक 01

फर्म का विवरण

1 फर्म का नाम ....

2 पूर्ण पता ....

....

3 टेलीफोन नं./मो.नं. ....

4 ई–मेल ....

5 जी.एस.टी.आई.एन.पंजीयन कमांक..

6 पेन नं.(PAN no.)..

7 रजिस्ट्रेशन नं. ....

8 संस्था के अधिकृत व्यक्ति का पूर्ण विवरण दूरभाष नं./पता सहित ....

....

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर एवं सील

तकनीकी निविदा

प्रपत्र क्रमांक 05

निविदा कर्ता फर्म की 04 पंजीकृत वाहनों की जानकारी

फर्म का पूरा नाम एवं पता ....

क्र.	गाड़ी का नाम	वाहन का पंजीयन नंबर	पंजीयन जारीकर्ता
1			
2			
3			
4			

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर एवं सील

वित्तीय निविदा प्रपत्र

राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा

वाहन किराये पर लेने हेतु वर्ष 2025–26

निविदा आवेदन फार्म (प्रति किलो मीटर के आधार पर दरें)

संस्था का नाम	
संस्था का सेवा कर जी.एस.टी./पंजीयन कमांक	
संस्था/मुखिया का पेन नम्बर	
संस्था का स्थायी पता	
मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर	

क.	वाहन का नाम	मॉडल/(मेक) का वर्ष	प्रति किलो मीटर किराये की दर (जी.एस.टी. पृथक से देय होगी)	
1	स्कारपियो	2020 Onwards		
2	इनोवा क्रिस्टा	2020 Onwards		
3	बोलेरो	2020 Onwards		
4	स्विफ्ट डिजायर	2020 Onwards		
5	टाटा नेक्सन	2020 Onwards		
6	कवर्ड लोडिंग महिन्द्रा/बोलेरो/टाटा एस वाहन 06 टन क्षमता तक	2020 Onwards		
7	1200 CC तक के अन्य समस्त कार मॉडल	2020 Onwards		

नोट :– 8 घण्टे के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु (पिकअप/ड्राप) न्यूनतम 150 किलो मीटर अथवा वास्तविक दर पर भुगतान मान्य होगा। आगे के घण्टों पर समानुपातिक किलोमीटर की दर मान्य होगी।

फर्म/प्रोपरायटर का नाम, हस्ताक्षर व सील